रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112024-258915
CG-DL-E-26112024-258915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2024/ अग्रहायण 4, 1946
No. 668] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2024/AGRHAYAN 4, 1946

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 727(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) और धारा 5 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष के नामांकन की रीति एवं अन्य सेवा-शर्तें) नियम, 2024 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) "अधिनियम" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अभिप्रेत है;

ख) "अध्यक्ष" से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

ग) "चयन समिति" से खोज-सह-चयन समिति अभिप्रेत है;

घ) "राज्य बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किंतु आधनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष के नामांकन की रीति.-(1) अध्यक्ष का नामांकन राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा, अर्थात:-

i. राज्य सरकार के मुख्य सचिव - अध्यक्ष;

ii. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या प्रभारी सचिव - सदस्य,

iii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के निदेशक के पद से अन्यून पद धारित करता हो - सदस्य

iv. राज्य सरकार द्वारा नामित पर्यावरण के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ- सदस्य;

v. राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या प्रभारी सचिव- सदस्य सचिव।

(2) समिति में किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष का चयन अवैध नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार, मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण किसी रिक्ति की तारीख से एक माह के भीतर; तथा किसी प्रत्याशित रिक्ति से छह माह पूर्व, पद को भरने के लिए चयन समिति को संदर्भित करेगी।

(4) चयन समिति अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी।

(5) चयन समिति इसकी सिफारिशें करेगी तथा राज्य सरकार को वर्णानुक्रम में तीन उपयुक्त व्यक्तियों का पैनल प्रस्तुत करेगी।

(6) चयन समिति अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात कम से कम तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, प्रकाशित मुक्त विज्ञापन के माध्यम से समिति को संदर्भ भेजे जाने की तारीख से तीन माह के भीतर अध्यक्ष के चयन के लिए तीन या अधिक व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(7) राज्य सरकार चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के पैनल में से अध्यक्ष का मनोनयन कर सकेगी।

(8) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करने से पहले चयन समिति स्वयं संतुष्ट होगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित होने की संभावना हो।

(9) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को अध्यक्ष का पद धारित करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अपने पद पर बना रहेगा।

3A. चयन समिति पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बन्धित विषयों की बाबत विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाले व्यक्ति पर विचार करेगी, और तदनुसार राज्य सरकार को सिफारिश करेगी।

4. वेतन और भत्ते: अध्यक्ष सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान में स्तर-17 में वेतन पाने वाले समूह 'क' पद के केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को दिए जाने वाले समान वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

5. सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें.-(1) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा, जिससे राज्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो;

(2) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और वह पेंशन प्राप्त करता है, यदि लागू हो, तो अध्यक्ष के रूप में उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की सकल राशि घटा दी जाएगी।

(3) अध्यक्ष, जो यदि उस पद को अवधारित न करे, वह उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन के लिए अपात्र हो जाएगा, जिस तारीख से वह उस पद को अवधारित न करता हो।

(4) अध्यक्ष, उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, जिस तारीख से वह उस पद को अवधारित न करता हो, शैक्षणिक क्षेत्र को छोड़कर, कोई भी रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

(5) यदि अध्यक्ष बीमारी, अवकाश या ऐसे अन्य कारणों से अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामित किसी सदस्य को अध्यक्ष का कार्यभार सौंप सकेगी।

(6) अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगी जो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मान में स्तर-17 में वेतन पाने वाले समूह 'क' पद को धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुमेय हैं।

6. **निरर्हरता**- कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. अध्यक्ष का कार्यकाल. (1) अध्यक्ष, अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

(2) अध्यक्ष के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के अनुसार, पैंसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अधीन, एक और कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित होने के लिए पात्र होगा।

8. **अध्यक्ष की पदच्युति**:-(1) राज्य सरकार, अध्यक्ष को कदाचार या अक्षमता के निम्नलिखित आधारों पर पद से हटा सकती है, यदि-

क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता से संबंधित हो; या

ग) अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव कारित होने की संभावना हो; या

ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकदृष्टि से विघातक है

(2) अध्यक्ष को उप-नियम (1) के खंड (ख) से (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का सम्यक अवसर न दिया गया हो।

9. अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार इन नियमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी कर सकती है, यदि आवश्यक हो।

[फा. सं. क्यू-15012/2/2022-सीपीडब्ल्यू/ई-179314]

वेद प्रकाश मिश्रा,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2024

G.S.R.727(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 and sub-section (9) of section 5, read with clause (aa) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government after consultations with the Central Pollution Control Board, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the State Pollution Control Board (Manner of Nomination and other Terms and Conditions of Service of Chairman) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. Definitions. (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(b) "Chairman" means the Chairman of the State Pollution Control Board;

(c) "Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee;

(c) "State Board" means the State Pollution Control Board constituted under section 4 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Manner of nomination of Chairman**.-(1)The nomination of the Chairman shall be made by the State Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of the following members, namely:-

(i) Chief Secretary of the State Government -- Chairperson;

(ii) Additional Chief Secretary or the Principal Secretary or the Secretary in charge of the Department of Personnel of the State Government-- Member,

(iii) a representative of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Director to the Government of India-Member

(iv) an expert in the field of environment to be nominated by the State Government - Member;

(v) Additional Chief Secretary or the Principal Secretary or the Secretary in charge of the Department of Environment of the State Government - Member Secretary.

(2) No selection of Chairman shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the committee.

(3) The State Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal; and six months before any anticipated vacancy, make a reference to the Selection Committee for filling up of the post.

(4) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendations.

(5) The Selection Committee shall make its recommendations and submit a panel of three suitable persons in alphabetical order to the State Government.

(6) The Selection Committee shall after inviting the applications from the candidates having special knowledge or practical experience as specified in section 4 of the Act through open advertisement published in at least three national newspapers, one of which shall be in Vernacular language, recommend a panel of three or more persons for selection of the Chairman, within three months from the date on which the reference is made to the Committee.

(7) The State Government may nominate the Chairman from amongst the panel of persons recommended by the Selection Committee.

(8) Before recommending any person for appointment as a Chairman, the Selection Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interests, which is likely to affect prejudicially his functions as a Chairman.

(9) Any person holding the office of the Chairman on the date of commencement of these rules shall continue to hold such office till expiry of his term.

3A. The Selection Committee will consider the candidates having special knowledge or practical experience in respect of matters relating to environmental protection or a person having knowledge and experience in administering institutions dealing with the matters aforesaid, and make recommendation to the state Government accordingly.

4. Pay and allowances: The Chairman shall be entitled to receive a pay and other allowances as admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying Pay in Level-17 in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.

5. Other terms and conditions of service.-(1) The Chairman shall be a person who shall not have any financial or other interests as are likely to affect prejudicially his functions as Chairman of the State Board;

(2) In case of a person as a Chairman, who retired from service under the Central Government or the State Government and he receives pension, if applicable, his pay as Chairman shall be reduced by gross amount of pension received by him.

(3) The Chairman ceasing to hold that office shall be ineligible for employment under the Central Government or any State Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office.

(4) The Chairman shall not, for a period of two years from the date on which he ceases to hold office, accept any employment, except in the field of academics.

(5) If the Chairman is not able to perform his duties temporarily due to illness, leave or such other causes, the State Government may assign the charge of Chairman to any member nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the Act.

(6) The other conditions of service of a chairman with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Central Government officer holding a Group 'A' post carrying Pay in Level-17 in the pay matrix of the Seventh Central Pay Commission.

6. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Tenure of Chairman. (1) The Chairman shall hold office for a term not exceeding three years from the date on which he enters upon office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) Any person nominated as Chairman shall be eligible for nomination as Chairman for another term in accordance with these rules, subject to maximum age of sixty-five years.

8. **Removal of Chairman**:-(1) The State Government may, remove from office the Chairman on the following grounds of misconduct or incapacity, who-

(a) has been adjudged as an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as the chairman; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the chairman; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public

(2) The Chairman shall not be removed under clauses (b) to (e) of sub-rule (1), unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

9. Subject to provisions of the Act and these rules, the Central Government may issue Standard Operating Procedures for smooth implementation of these rules, if required.

[F. No. Q-15012/2/2022-CPW/e-179314)]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.26 11:46:31 +05'30'